न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 32/2020

वादी		प्रतिवादीगण
1 छगनाराम उर्फ छगनलाल पुत्र भगवाराम जाति माली निवासी बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 भोपालाराम 2 सवाईराम पिसरान प्रहलादराम जाति माली निवासी शास्त्री नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री हिन्दूराम भाटी, वकील वादी पक्ष।
2. श्री डूंगरसिंह, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 23.09.21

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य है तथा भगा उर्फ चगा के वंशज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षैत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 522 रकबा 35.15 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 3699/522 रकबा 20.18 बीघा व खसरा संख्या 3698/522 रकबा 14.17 बीघा कुल रकबा 35.15 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि भगा उर्फ चगा के फौतगी पर वादी भगा व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता प्रहलादराम के हिस्से में होनी चाहिए थी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता प्रहलादराम व राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से वादी के नाम पैतृक भूमि खातेदारी में दर्ज नही हुई। पैतृक भूमि होने के कारण वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा है तथा उसी अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त है, परन्तु राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त परिस्थिति का फादयदा उठाकर तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने से प्रतिवादीगण, भूमि का विक्रय किसी अजनबी व्यक्तियों पर करने पर उतारू है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है, जिसे घोषित करवाने की वादी अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षैत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3699/522 रकबा 20.18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी में यथावत रखी जावे तथा मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षैत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर खसरा संख्या 3698/522 रकबा 14.17 बीघा भूमि वादी की खातेदारी में घोषित की उसे खातेदारी अधिकार दिया जावें। उक्त राजीनामा अनुसार डिकरी की जाती है तो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 छगनाराम उर्फ छगनलाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दियां, नक्शा,

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

नकल बन्दोबस्त तथा नामान्तकरण की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 है। वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा उक्त भूमि में राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अनुसार खातेदारी में घोषित किया जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों ने निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3699/522 रकबा 20.18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी में यथावत रखी जावे तथा मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर खसरा संख्या 3698/522 रकबा 14.17 बीघा भूमि वादी की खातेदारी में घोषित कर उसे खातेदारी अधिकार दिया जावें। उक्त राजीनामा अनुसार डिकरी की जाती है तो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 प्रदर्श–03 एवं जमाबन्दी संतव 2070 से 2073, प्रदर्श–01 व नक्शा प्रदर्श–02 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर खसरा संख्या 3698/522 रकबा 14.17 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी समाप्त कर वादी की खातेदारी में घोषित की जाती है। शेष खाता यथावत रहेगा। **अतः तहसीलदार बाडमेर तद् अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23/08/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

D:\LJ\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx